

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़  
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 142/2021

इन्द्राज पुत्र बनवारी, जाति गुर्जर निवासी कुठानियां तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

-अपीलार्थी

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिंघाना, जिला झुन्झुनू।

- रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना  
उनवानी सरकार बनाम इन्द्राज अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956  
मु0न0 49/2021 निर्णय दिनांक 24.08.2021

उपस्थिति:-

- 1 श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट ----- अपीलान्ट की ओर से ।
- 2 श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट-----रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 25.04.2022

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 24.8.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम इन्द्राज मु0न0 49/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि-पटवारी हल्का मोई सददा ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कुठानियां की राजकीय भूमि गैर मु0 नाला के खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर में से रकबा 0.0540 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी इन्द्राज पुत्र बनवारीलाल जाति गुर्जर निवासी कुठानियां ने अवैध रूप से ग्वार फसल काशत कर अतिक्रमण किया गया है। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया और प्रार्थी के विरुद्ध बेदखली का आदेश तथा बतौर शास्ति 500 रुपये जुर्माना कायम किया गया। अपीलांत दिनांक 13.8.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहा। न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मौका फसल ग्वार काशत को भू-अभिलेख निरीक्षण को मौका पर खड़ी फसल को जब्त करने हेतु लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिंघाना ने बिना जांच किये एवं

ज. 17  
जिला कलक्टर  
झुन्झुनू



बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये प्रार्थी को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। दिनांक 13.8.2021 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में यह अंकन किया है कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मौका पर खड़ी गवार की फसल को जब्त करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया था। भू-अभिलेख निरीक्षण की फसल कुर्क करने बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल की गई हो ऐसा आदेशिका में अंकन नहीं है, उसके बाद बिना रिपोर्ट आये ही एवं प्रार्थी अपीलान्त को बिना सुने ही दिनांक 24.8.2021 को उक्त आलौच्य निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 23.9.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में पटवारी हल्का मोई सददा एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरा नंबर 348 गै.मु. नाला पर अतिक्रमण कर फसल बुआई को निलामी करने हेतु मौके पर पहुंचकर निलामी कार्यवाही की गई। उक्त रिपोर्ट को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट पूर्व से तैयार की गई है, केवल खाली स्थान बाद में भरे गये हैं। मौके पर कोई निलामी नहीं हुई है। उक्त सारी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय ने आनन-फानन में अपने कार्यालय में की गई है। उक्त रिपोर्ट पर प्रार्थी के कोई हस्ताक्षर नहीं है ना ही मौका बेदखली रिपोर्ट दिनांक 14.10.2021 पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। निलामी की कार्यवाही में शामिल व्यक्ति कैलाश पुत्र सोहन एवं विजय सिंह व सुनिल पुत्र भादरराम धानक थे जो स्वयं ने उक्त गै.मु. नाला भूमि खसरा नंबर 348 पर अतिक्रमण कर रखा है। भूमि खसरा नंबर 348 गै.मु. नाला के सटकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 355, 363 स्थित है। प्रार्थी का गै0मु0 नाला खसरा नंबर 348 पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अदालत नायब तहसीलदार सिंघाना का निर्णय दिनांक 24.8.2021 को निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्त को वादग्रस्त कृषि भूमि के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं किया जावे एवं प्रार्थी अपीलान्त को पुनः सुनवाई हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मौका फसल गवार काश्त को भू-अभिलेख निरीक्षण को मौका पर खड़ी फसल को जब्त करने हेतु लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिंघाना ने बिना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये प्रार्थी को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। दिनांक 13.8.2021 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में यह अंकन किया है कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मौका पर खड़ी गवार की

2021  
 अधीनस्थ न्यायालय  
 सिंघाना

फसल को जब्त करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया था। भू-अभिलेख निरीक्षण की फसल कुर्क करने बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल की गई हो ऐसा आदेशिका में अंकन नहीं है, उसके बाद बिना रिपोर्ट आये ही एवं प्रार्थी अपीलान्ट को बिना सुने ही दिनांक 24.8.2021 को उक्त आलौच्य निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 23.9.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में पटवारी हल्का मोई सददा एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरा नंबर 348 गै.मु. नाला पर अतिक्रमण कर फसल बुआई को निलामी करने हेतु मौके पर पहुंचकर निलामी कार्यवाही की गई। उक्त रिपोर्ट को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट पूर्व से तैयार की गई है, केवल खाली स्थान बाद में भरे गये हैं। मौके पर कोई निलामी नहीं हुई है। उक्त सारी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय ने आनन-फानन में अपने कार्यालय में की गई है। उक्त रिपोर्ट पर प्रार्थी के कोई हस्ताक्षर नहीं है ना ही मौका बेदखली रिपोर्ट दिनांक 14.10.2021 पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। निलामी की कार्यवाही में शामिल व्यक्ति कैलाश पुत्र सोहन एवं विजय सिंह व सुनिल पुत्र भादरराम धानक थे जो स्वयं ने उक्त गै.मु. नाला भूमि खसरा नंबर 348 पर अतिक्रमण कर रखा है। भूमि खसरा नंबर 348 गै.मु. नाला के सटकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 355 व 363 स्थित है। प्रार्थी का गै0मु0 नाला खसरा नंबर 348 पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अदालत नायब तहसीलदार सिंघाना का निर्णय दिनांक 24.8.2021 को निरस्त फरमाया जावे।


दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम कुठानियां की राजकीय राजकीय भूमि गै0मु0 नाला खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर में से रकबा 0.0540 हैक्टर भूमि पर अवैध रूप से फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम कुठानियां की राजकीय राजकीय भूमि गै0 मु0 नाला खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर में से रकबा 0.0540 हैक्टर भूमि पर अवैध रूप से फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर सुना गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि गै0मु0 नाला खसरा नंबर 348 रकबा 1.00 हैक्टर में से रकबा 0.0540 हैक्टर भूमि पर उसका कब्जा वैध साबित होता हो। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 नाला है जो नियमन की श्रेणी में नहीं आती। पत्रावली के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय नायब

24/10/21  
 न्यायालय  
 सिंघाना

तहसीलदार सिंघाना के निर्णय दिनांक 24.8.2021 की पालना में अपीलान्ट को दिनांक 14.10.2021 को बेदखल किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट में कोई सारभूत तथ्य नजर नहीं आते। इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.8.2021 उनवानी सरकार बनाम इन्द्राज मु0नं0 49/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कस की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



(जे0 पी0 गोड)   
 अतिरिक्त जिला कलक्टर,   
 झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गोड)   
 अतिरिक्त जिला कलक्टर,   
 झुंझुनू